

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.

13⁶
18

फरमाना कोरुय कोरु इकरेविया के प्रेस कोरु।
बाडीका मार होको किये जावा हो गिरेय पुस्तक
से शासिक फरमाना किये जाय (फरमाना कोरु
बुगार होकर गुरुय ले कय हो गेय वाय कोरु
कोरु गुरुय हो)

अपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

पीठासीन अधिकारी

श्री विरवा लाल शर्मा R.A.S

क्र. 88,89

कार्यवाही

उपनाम

सुनील

वा बावत:-

59/18

कदमा नम्बर:-

दिनांक:-

13/06/2018

वादी की ओर से

श्री विरवा लाल शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से

उपस्थिति में आज तारीख

को

(नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

पटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि -

करीब 2500 के लिए शर्मा जी स्वयं: 65/0-08, 79/7-15, 603/0-10, 04/0-02, 622/0-04, 662/0-15, 732/0-08, 736/0-18, 761/0-18, 801/1-06, 1006/1-00, 1017/1-01, 1035/1-06, 1038/2-13, 1043/0-18, 522/0-08, 1563/0-03, 1569/0-07, 1544/0-07 यु.न. वि.नं. 13 का उल्लंघन करने के लिए शर्मा जी को 29/3 को आदेश दिया कि 12/12 को वादी के पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 13/6/18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Handwritten signature

(विरवा लाल शर्मा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चें